अत्यावश्यक विधान सभा प्रश्न

विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

(इंदिरा गांधी विधान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल–462004)

फेक्स: (+91-755)2440238
ईमेल: vidhansabha-mp@nic.in
वेबसाइट: http://www.mpvidhansabha.nic.in

क्रमांक 1584/विस/प्रश्न /2017 भोपाल–462004, दिनांक : 20 / 01/2017

प्रति,

समस्त माननीय सदस्यगण,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

विषयः– माननीय सदस्यों द्वारा ऑनलाईन प्रश्न प्रेषण–प्रक्रियात्मक संशोधन एवं सुझाव।

आदरणीय महोदय/महोदया,

मध्यप्रदेश विधान सभा का आगामी बजट सत्र 2017, दिनांक 21 फरवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक आहूत है। विगत सत्रों से अनेक माननीय सदस्यों द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रश्न प्रेषित किये जा रहे है, किन्तु इस सचिवालय को ऑनलाईन प्राप्त प्रश्नों में शाब्दिक, व्याकरणात्मक, हिन्दी के अंक आदि की त्रुटियां परिलक्षित हो रही है, जो मुख्यतः निम्नानुसार है :–

क	माननीय सदस्य से प्राप्त प्रश्नों में अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
1	शाब्दिक त्रुटियां व्यवसायकिष, स्पश्ट, विधुत,प्रष्न,राशि,अषोका, उपभाकताओं,देषगांव, षिकायत,आष्वत, प्रशांस, कियांवयन, रजिस्ट्रेषन,षाक्षकीय, द्धारा,मषीन आदि	व्यावसायिक,स्पष्ट,विद्युत,प्रश्न,राशि, अशोका,उपभोक्ताओं,देशगांव,शिकायत,आश्वस्त, प्रश्नांश,कियान्वयन,रजिस्ट्रेशन,शासकीय,द्वारा, मशीन आदि
2	मात्राओं संबंधी त्रुटियां अधिकारीयो, सुची, शीकायत, अंतरीत, भुमिका आदि	अधिकारियों, सूची, शिकायत, अंतरित, भूमिका आदि
3	अंकों संबंधी त्रुटियां २७१६ दिनांक २९ जुलाई, २०१६ प्रश्नांश अ, ब, स, द एवं 1 , 2, 3, 4	2716 दिनांक 29 जुलाई, 2016 प्रश्नांश (क) (ख) (ग) (घ)

उपर्युक्त लक्षित त्रुटियों से मूल प्रश्न पर सचिवालय स्तर से पठन, पाठन, संपादन एवं आदेश करने में कठिनाईं उत्पन्न होती है।

अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्न टंकित करते समय निर्धारित फॉण्ट एवं यूनिकोड में ही प्रश्न टंकित कराये तथा कन्वर्टर (Converter) का प्रयोग न करें एवं स्वतः संज्ञान लेते हुये लक्षित त्रुटियों में सुधार करने के उपरांत सचिवालय को ऑनलाईन प्रश्न प्रेषित किये जाये।

ऑन–लाईन प्रश्न प्रेषण में यदि किसी प्रकार की कठिनाई/जानकारी हेतु श्रीमती जॉयस जार्ज सेम, प्रधान प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी प्रकोष्ठ विधान सभा (मो. 9425019291, 0755–2523087,2440237 पर संपर्क किया जा सकता हैं।

भ व दी या

20/1/17

(श्रीमती मंजू गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश विधान सभा
फोन:0755–2570409